कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक- 1521/सी0जेड0/5सी0जेड0(पेट्रोल पम्प अनापत्ति)-8/2020, दिनाँक- 20/03/2020

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जनपद लखीमपुर-खीरी में बिलरायां-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग-21) के दाहिनी तरफ किमी0-24 चैनेज-(23.410 से 23.445) में स्थित ग्राम-बरोठा, थाना-निघासन, तहसील-निघासन, जनपद लखीमपुर-खीरी के खसरा/गाटा सं0-407 में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रस्तावित आउटलेट बिलरायां-पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के किमी0-24 चैनेज-(23.410 से 23.445) पर दाहिनी ओर स्थित है। मानचित्र में अंकित दूरी 24.380 मी0 लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि (9.83 मी0) सीमा से बाहर है। संलग्न मानचित्र में अंकित दूरी तक निर्माण सामग्री लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि सीमा में एकत्र न किया जाये।

   प्रस्तावित आउटलेट स्थल पर रोड साइट लैण्ड कण्ट्रोल एक्ट की सीमा 24.380 मी0 है। रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत मार्ग के मध्य से 24.380 मी0 में पक्का निर्माण अनाधिकृत है। रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के सम्बन्ध में राजस्व विभाग की आख्या बाध्यकारी होगी।
2. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
3. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
4. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
5. पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी0 नीचा होना चाहिए, ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
6. पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) एवं विभागीय भूमि के बीच परिसर में पक्की ड्रेन बनाई जाये तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाये एवं सड़क तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर 01 मी0 स्पान की सुदृढ़ आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाये, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और पेट्रोल पम्प परिसर का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
7. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
8. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईनेज बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
9. मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
10. वेगान्तर लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।
11. शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0, दि0 04.12.2019 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट एवं आई0आर0सी0 कोड 12-2009 में दी गई समस्त शर्ते लागू होंगी।
12. संबंधित ऑयल कम्पनी संचालक द्वारा लाईसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का क्रमशः डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-121509, दि0 14.02.2020 रू0 3,00,000.00 **(भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-निघासन, लखीमपुर-खीरी)** एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-240849, दि0 14.02.2020 रू0 10,000.00 **(बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-निघासन, लखीमपुर-खीरी)** कुल धनराशि रू0 3,10,000.00 मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के पक्ष में जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, खीरी का पत्र सं0-347/एन0ओ0सी0/2019-20, दि0 06.03.2020 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर का पत्र सं0-1271/330सी-सी0खी0/2020, दि0 19.03.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(एस0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, खीरी।
   संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-1271/330सी-सी0खी0/2020, दि0 19.03.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के पत्र संख्या-347/एन0ओ0सी0/2019-20, दि0 06.03.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कुमार विभाष
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
बरेली मंडल कार्यालय
35–ए, सिविल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,
बरेली–243001 (उ०प्र०)

मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

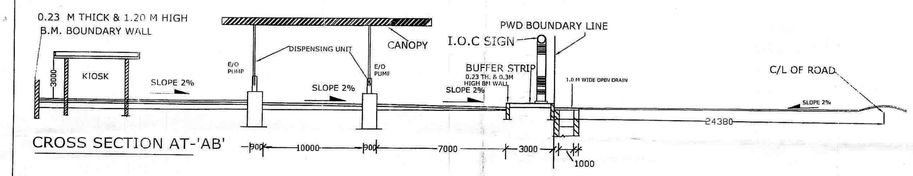

CROSS SECTION AT-'AB'

ITEM	SIZE	PET. CL	CAP.	PROD.
T1	2.10X6.25	CLASS 'A'	20 KL	MS
T2	2.10X6.25	CLASS 'B'	20 KL	HSD
DU1	4000X900	CLASS 'A/B'	DUO	MS/HSD
DU2	6000X900	CLASS A/'B'	DUO	MS/HSD

NOTES:-

1. V= VENT PIPES 4 M HIGH AND 4.0 M CLEAR ALROUND END COVERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETRE.
2. F= FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLE IN AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. D= DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS :2148.
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6 M OF THE U/G TANKS & D/U.
7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS: 10987:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC)/P/MISC. 94 DATED 24.02.99.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.R.- SAND BUCKET 10 NO'S AS PER EXPLOSIVE RULES.
12. F.E.- FIRE EXTINGUISHER-10 NO'S AS PER EXPLOSIVEULES.
13. TANK GIVEN HYDROULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MENTIONED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36 KG/SQ.C.M. FOR 2 HOURS.
14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 MM LONG INSTEAD OF STANDARD 2350 MM.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS:
    20 KL SHELL - 6 MM
    END - 8 MM
16. TANKS CONFORMS TO 124, 125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE - 2002.
17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF C.C.. NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-III(MBI) DATED:26.11.1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC 1983 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
20. EV = EXTENDED VENT POINTS
    F = EXTENDED FILL POINTS.
21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
22. NO ELECTRIC LINE PASSING OVER THE R.O. PREMISES .

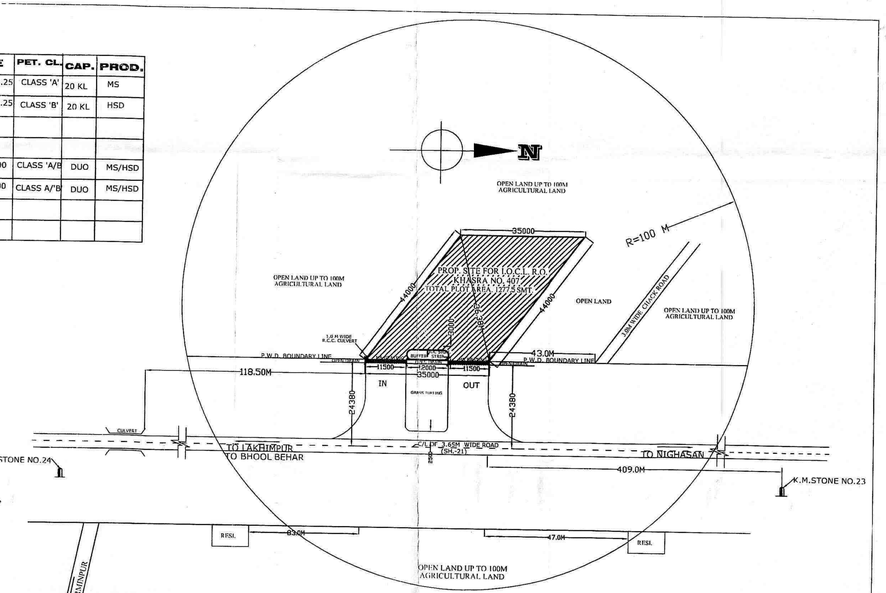

SITE/DRAINAGE PLAN

SCALE-1:800

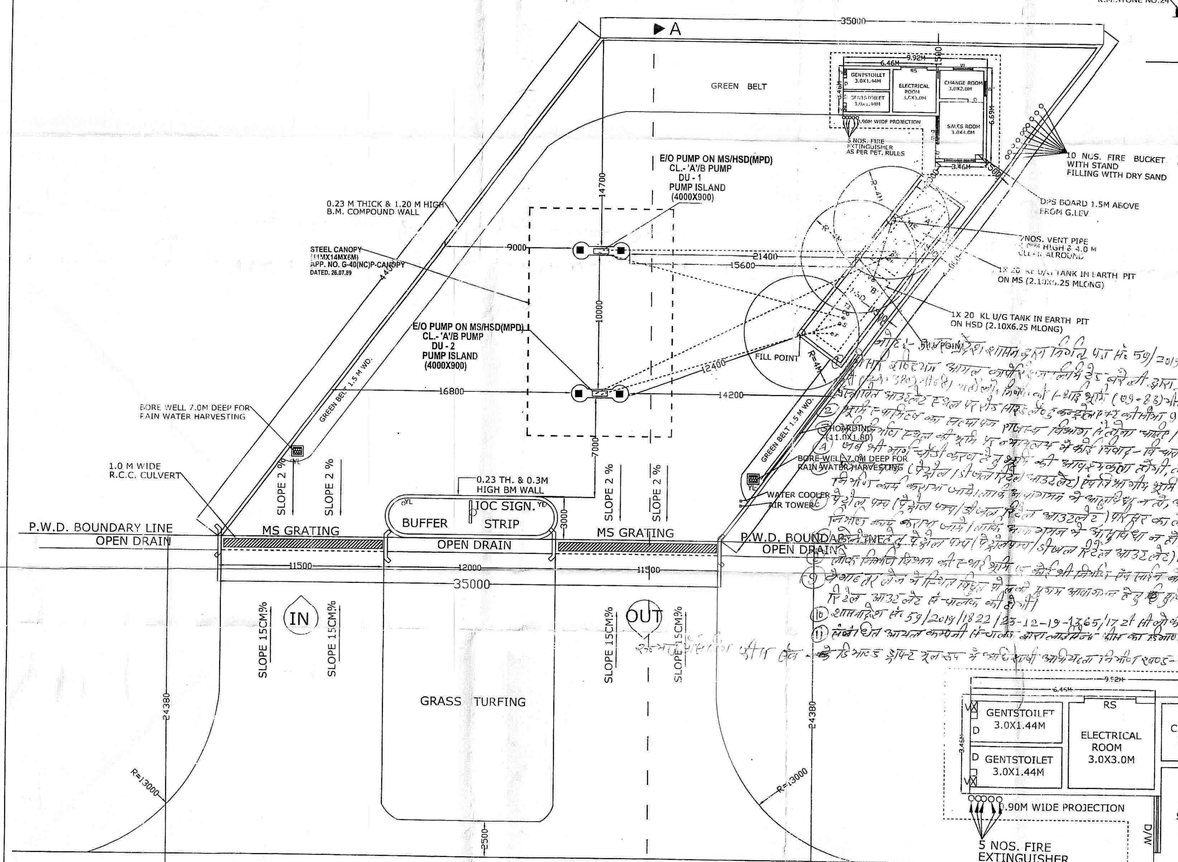

LAYOUT PLAN
SCALE:1:200

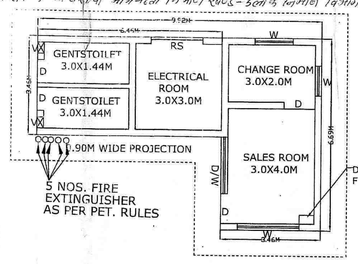

BUILDING PLAN

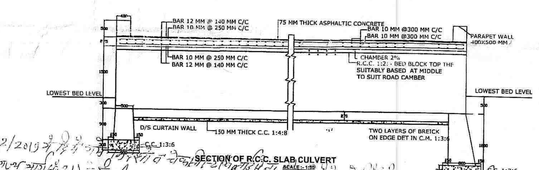

SECTION OF R.C.C. SLAB CULVERT
SCALE-1:50

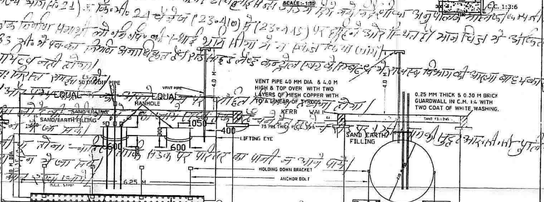

LONGITUDINAL SECTION OF TANK

Executive Engineer
Construction Division-3 P.W.D.
Lakhimpur-Kheri

LOCATION:- BETWEEN KM. STONE NO.23 & 25 ON SH.21

INDIAN OIL CORPORATION LTD.
(MARKETING DIVISION)
(NORTHERN REGION)

BAREILLY DIVISIONAL OFFICE

PROPOSED LAYOUT & SITE PLAN FOR RETAIL OUTLET ON LAKHIMPUR - NIGHASAN ROAD, (SH-21)
AT.-KHASRA NO.- 407
AT-VILL.- BAROTHA ,TEH.- NIGHASAN
DISTT. - L.KHERI (U.P.)
POLICE STATION:- NIGHASAN
RAILWAY STATION:- BELRAYAN
PIN CODE NO. 262903

28.08.2019 | IOC/BLY/RG/RO/2019
DATE | DRAWING NO.

DATE	BRIEF RECORD	INITIAL
	R I V I S I O N S	

SCALE = AS SHOWN

PREPARED BY :-
RAM GOPAL SHARMA
52 VISHWANATH PURAM COLONY,
BADAUN ROAD, BAREILLY
98370-28296,

S.MGR.(RS)
DGM(RS)

कुमार विभाष
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
बरेली मंडल कार्यालय
35-ए, सिविल लाईन्स, कमला नेहरू मार्ग,
बरेली-243001 (उ०प्र०)